

DPO

24-9-2021
21/11/21

राजस्थान - सरकार

-: न्यायालय का नाम :-

तहसीलदार (राजस्व), नोहर

नाम सीगा	नम्बर रजिस्टर	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तादाद कागजात			नं० रजि० मुहा०
				क	ख	योग	
प्लॉट 22	7/2021	15/9/2021	22/10/2021				

	ब	रामलाल, हरीसिंह अि	
सरकार	ना	भोजीराम जाट वर्ग: सा.	
	म	खरखण्डी	
(श्री	वकील)	(श्री	वकील)

फहरिस्त कागजात

नवम्बर शुमार	तारीख शामिल	विवरण कागजात	तादाद



रामलाल
श्री
8/10/21

7/21

फर्द कुर्की एवं सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक : 8/10/2021..... को श्रीमान तहसीलदार साहब

नोदर..... के आदेशानुसार अतिक्रमी श्री रामलाल, हरीचिंद पुत्र श्री मोजीराम वरिष्ठ
जाति भाट निवासी खरसोडी की चल / अवल संपत्ति रामलाल, हरीचिंद पि.
मोजीराम जाति भाट सा. खरसोडी शरा जे.ड. स्या. खरसोडी
133 मे 0.063 हे ग्वार, रामकुमार, पुताप पि. मधुराम जाति
भाट सा. खरसोडी जे.ड. रास्ता ख.न. 34 मे 0.063 हे
ग्वार की फसल।

को कुर्क कर बहक सरकार ली गई एवं पाबंद किया कि कुर्क शुदा संपत्ति सुर्द बुर्द न करे
अन्यथा पुलिस कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कुर्क संपत्ति श्री पुत्र श्री जाति
राजेन्द्र सिंह पटवारी
निवासी की सुपुर्दगी में देकर हिदायत दी गई कि कुर्क संपत्ति सुर्द बुर्द हो तो
रिपोर्ट करे।

तहरीर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करायें गए।

Om/
8/10/2021

मानि
547 जवाहर
भू0310नि08-10-2021

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम रामलाल, हरीसिंह पि० मोजीराम जाति जाट वगै० साकिन खरसण्डी किस्म मुकदमा धारा 22 उप० अधि० 1954 मु०नं०.....०7 सन् 2021


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17/9/2021	<p>पटवारी हल्का ललानिया द्वारा ग्राम खरसण्डी के अप्रार्थीगण सं० 1 रामलाल, हरीसिंह पि० मोजीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै० मु० चारागाह के ख०न० 133 की कुल 9.615 है० में से 0.063 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 2 रामकुमार प्रताप पि० मलुराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि खसरा नं. 34 की कुल 3.502 है० में से 0.063 है० में ग्वार संवत् 2078 खरीफ फसल काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं गिरदावर हल्का जबरासर को खडी फसल कुर्क करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 24/9/2021 को पेश हो।</p>	
24/9/21	<p>पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थीगण को नोटिस बाद लापेट अफ्टर जो लापेट पत्रावली किया गया। ZLR से उनी रिपोर्ट अफ्टर रिपोर्ट में इंतजार में पत्रावली दिनांक 31/10/21 को करा है।</p>	
31/10/21	<p>पत्रावली पेशी में ली गई। ZLR से उनी रिपोर्ट करा जो लापेट पत्रावली सी गई। ZLR से अफ्टर रिपोर्ट हेतु अफ्टर में लिखा जाते पत्रावली रिपोर्ट अनेक करा है।</p>	

22.10.2021

पत्रावली पेशी में ली गई। भूअभिनिरीक्षक से फर्द कुर्की रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी हैं पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी नोटिय स्वयं से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं० 1 रामलाल, हरीसिंह पि० मोजीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै० मु० चारागाह के ख०न० 133 की कुल 9.615 है० में से 0.063 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 2 रामकुमार प्रताप पि० मलुराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि खसरा नं. 34 की कुल 3.502 है० में से 0.063 है० में ग्वार फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भूराजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि...२०.....रु० से दण्डित किया जाता है। भूअभिनिरीक्षक को आदेश दिये जाते है कि वे कुर्क शुद्ध खडी फसल की निलामी करवाकर निलामी राशि बाद अनुमोदन खजाना राज में जमा करावे तथा अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।


तहसीलदार(राजस्व)
नोहर

[Faint handwritten notes in blue ink, likely a list of names and amounts, partially obscured by the main text.]

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 07

सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

रामलाल, हरीसिंह पि० मोजीराम जाति जाट वगै० साकिन खरसण्डी

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 22.10.2021


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं० 1 रामलाल, हरीसिंह पि० मोजीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै० मु० चारागाह के ख०न० 133 की कुल 9.615 है० में से 0.063 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 2 रामकुमार प्रताप पि० मलुराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि खसरा नं. 34 की कुल 3.502 है० में से 0.063 है० में ग्वार की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू०अ०नि० जबरासर को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू-राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रू. 20 /- से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जबरासर द्वारा कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करने हेतु लिखा जावे एवं अगल से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

प्रारूप-क

(देखिये नियम 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस

तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में मिसलेनियस केस संख्या 0.7.सम्बत् 2078 सरकार बनाम रामलाल, खरीद पि. मोजीराम जाति जाट (राजस्व)

तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

अतः आपने ग्राम खरखणी के ख.स. 133 पारागाह अमिपट 0.063 ई जाट
की फसल काश्त की है

संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण अनधिभोगी सरकारी भूमि पर अतिचार किया है।

एतद् द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको दिनांक 24/8 से पूर्व उक्त भूमि खाली कर देनी चाहिए या आपको व्यक्तिगत रूप से स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा दिनांक के दिन समय 11 बजे हाजिर होना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि क्यों नहीं आपको उससे बेदखल कर दिया जावे।

आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि सम्बत् 2078 के दौरान उक्त भूमि पर विचार करने के लिए वार्षिक लगान या कर निर्धारण, यथा स्थिति, को 50 गुनी तक शास्ति क्यों नहीं अधोरोपित की जावे।

यह ओर नोटिस दिया जावे कि आपने गत कृशि वर्ष में उसी भूमि पर अधिकार किया था। यह नोटिस आपका वर्ष 2078 में हुए पचावर्ती अतिचार के संबंध में दिया जा रहा है। आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि क्यों नहीं आपको ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार के सुपूर्द कर दिया जाये व वार्षिक लगान या कर विवरण यथा स्थिति को 50 गुना तक शास्ति का संदाय करें।

यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त तिथि को आपको हाजिर न होने पर, मामला आपकी अनुपस्थिति में विनि चत किया जायेगा।

आज दिनांक 15/8/21 को दिन मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित की गई।

रु 1
(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत)
तहसीलदार (राजस्व)
0/1 नोहर

मि. न. 07/21

फर्द निलामी

आज दिनांक 21/10/2021 को श्रीमान् तहसीलदार मोहदय नोहर के आदेश क्रमांक राजस्व/21/980 दिनांक 01/10/2021 की पालना में ग्राम खरसोडी के खसरा नं. 133, 34 की कृ. दु. चारागाह भूमि में फसल उवार नाजायज कास्त निम्नांकित व्यक्तियों

0.126 हे. ① रामलाल, हरिश्चिद पि. प्रोजीराम
जाति जाट सा. खरसोडी, ② रामकुमार, उताप पि. मल्लुराम
जाति जाट सा. खरसोडी

द्वारा की गई थी। को बहक सरकार कुर्क कर लिया गया था। उक्त फसल की निलामी हेतु सार्वजनिक सुचना जारी कर ग्राम के मोतबिरान के रूबरू निलामी बुलाई गई वर्तमान में फसल कम वर्षा के कारण कमजोर है।

निम्नांकित व्यक्तियों ने उपरोक्त फसल की बोली निम्नानुसार लगाई है।

क्र. स.	बोलीदाता	बोली की राशी
		I II
1.	श्री शेराराम पुत्र श्री मालूराम जाति जाट साकिन खरसोडी	100 205
2.	श्री टिकुराम पुत्र श्री चार्नियार जाति कुम्हार साकिन खरसोडी	125
3.	श्री मनोप्रसाद पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट साकिन खरसोडी	155
4.	श्री पुल्हाद पुत्र श्री प्रमोचन्द जाति जाट साकिन खरसोडी	185

उपरोक्त में श्री शेराराम पुत्र श्री मालूराम जाति जाट साकिन खरसोडी की बोली उच्चतम रही है। अतः उक्त के नाम फसल निलामी छोड़ी गई है।

उताप
ममोज शर्मा

21/10/21



उताप
21/10/2021
राजस्व पटवारी
क.म. खलामिया

ममोज शर्मा
21-10-2021

उताप
21/10/21

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमागनढ


क्रमांक/राजस्व/2021/1147

दिनांक: 22.10.2021

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 07/2021 में निर्णय दिनांक 22.10.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं० 1 रामलाल, हरीसिंह पि० मोजीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै० मु० चारागाह के ख०न० 133 की कुल 9.615 है० में से 0.063 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 2 रामकुमार प्रताप पि० मलुराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि खसरा नं. 34 की कुल 3.502 है० में से 0.063 है० में ग्वार नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू०अ०नि० जबरासर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 20000 रूपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।



तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

क्रमांक/राजस्व/2021/1148-50


दिनांक:- 22.10.2021

प्रतिलिपि:-निम्न को पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भूअभिलेख निरीक्षक जबरासर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल करें एवं कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करे।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।


तहसीलदार (राजस्व)
नोहर




तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

